प्रेस-विज्ञप्ति

दीव में सार्वजनिक स्थलों पर शराब सेवन पर प्रशासन सख्त

पकड़े जाने पर होगी दंडात्मक कार्रवाई

दीव 05 अक्टूबर, 2020 : दीव में हाल के दिनों मे देखने में आया है कि बहुत से लोग शराब खरीद कर शराब की दुकानों या सार्वजनिक स्थलोंपर ही शराब पीने लगते हैं जो सरासर अनुचति है । बहुत से लोग समुद्र तटीय क्षेत्रों में पेय पदार्थों / शराब का सेवन कर कॉच की बोतलें जहॉ-तहॉ फेंक देते हैं, जो सही नहीं है । इस संबंध में कुछ शिकायतें भी मिली हैं कि लोग समुद तटों पर शराब पीकर अपमानजनक व्यवहार करते हैं तथा आपस में हिसंक झड़पें कर लेते हैं जो सर्वथा अनुचित है।

इस तरह की गतिविधियों के कारण किसी को गंभीरे चोटें आ सकती है तो किसी की मौंतभी हो सकती है और सार्वजनिक और निजी संपत्तियों का नुकसान भी हो सकता है। इससे इस क्षेत्र की शांति भी प्रभावित होती है ओर कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में समस्या आती है।

उक्त को ध्यान मे रखते हुए दीव समाहर्ता श्रीमती सलोनी राय ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए हिदायतें दी है कि दीव के नागरिक /पर्यटक/ आगंतुक कोई भी व्यक्ति शराब / मादक पेय वस्तुओं / पदार्थों का सेवन समुदी तटों और उसके पास बने दीवारों, सार्वजनिक स्थलों, शहर के मुख्य मार्गों, पार्किग स्थलों, बस स्टैंड, फुटपाथ, गलियों, प्लाजा, जेटी पर या इसके आस-पास न करें।

यदि कोई भी उक्त स्थलों पर शराब या मादक पेय पदार्थों / वस्तुओं की सेवन करते पाया जाता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।